<u>प्रतिवेद्य</u>

समक्ष भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपील न्यायक्षेत्र

सिविल अपील सं. 3814/2019

कैन्टोनमेन्ट बोर्ड, मेरठ व अन्य		अपीलार्थी
	बनाम	
अफजल		प्रत्यर्थी

के साथ

सिविल अपील संख्याएँ	3815/2019;	3816/2019;
3817/2019;	3818/2019;	3819/2019;
3820/2019;	3821/2019;	3822/2019;
3823/2019;	3824/2019;	3825/2019;
3826/2019;	3827/2019;	3828/2019;
3829/2019;	3830/2019;	3831/2019;
3832/2019;	3833/2019;	3834/2019;

<u>उद्घोषणा</u> "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

3835/2019;	3836/2019;	3837/2019;
3838/2019;	3839/2019;	3840/2019;
3841/2019;	3842/2019;	3843/2019;
3844/2019;	3845/2019;	3846/2019;
3847/2019;	3848/2019;	3849/2019;
3850/2019;	3851/2019;	3852/2019;
3853/2019;	3854/2019;	3855/2019;
3856/2019;	3857/2019;	3858/2019;
3859/2019;	3860/2019;	3861/2019;
3862/2019;	3863/2019;	3864/2019;
3865/2019;	3866/2019;	3867/2019;
3868/2019;	3869/2019;	3870/2019;
3871/2019;		

<u>निर्णय</u>

न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी

1. इन अपीलों के समूह को सिविल मिसलीनियस रिट याचिका सं. 54929/2012 में मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित सामान्य आदेश दिनांक 19.12.2013 से पीड़ित कैन्टोनमेन्ट बोर्ड, मेरठ एवं अन्य द्वारा दायर किया गया। सभी अपीलों को इस सामान्य निर्णय के द्वारा निस्तारण को साबित करेगा।

[&]quot;क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

- 2. मा. उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिकाओं में, प्रत्यर्थीगणों-मूल याचिकाकर्ताओं द्वारा कथित अनिधकृत निर्माण में वृद्धि को रोकने के लिए अपीलार्थीगणों द्वारा छावनी अधिनियम 1924 (संक्षिप्ततः 1924 का अधिनियम) के धारा 185 के अन्तर्गत जारी सूचना को रद्ध करने के लिए प्रत्र्यर्थीगणों-मूल याचिकाकर्ताओं ने प्रार्थना की, साथ ही साथ निर्माण के ध्वस्तीकरण के लिए जारी सूचनाओं को रद्ध करने के लिए प्रार्थना की। प्रत्यर्थीगणों-रिट याचिकाकर्ताओं ने अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निस्तारित हो रहे अपीलों के अधिमानतः पारित अपीलीय आदेश को रद्ध करने के लिए भी प्रार्थना की।
- 3. छावनियों के प्रशासन से सम्बन्धित कानून मूलतः 1924 के अधिनियम द्वारा शासित था। उक्त अधिनियम को छावनी अधिनियम 2006 (संक्षिप्ततः 2006 का अधिनियम) की धारा 360 के आधार पर निरसित किया गया है। 2006 अधिनियम 18.12.2006 की तिथि से लागू हुआ।
- 4. नये अधिनियम के प्रभावी होने से पूर्व 1924 अधिनियम की धारा 184 एवं 185 के अन्तर्गत छावनी कार्यकारी अधिकारी ने कार्यवाहियाँ शुरू कर दी हैं, इस आधार पर कि प्रत्यर्थींगणों ने बिना किसी पूर्व अनुमित के छावनी क्षेत्र के अन्दर निर्माण कार्य निष्पादित किया है और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि कारण बताएँ कि प्रत्यर्थींगणों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की जानी चाहिए। निराकरण के उद्देश्य के लिए हमें अफजल को जारी किये गये सूचना का उल्लेख करेंगे जो कि सिविल अपील सं. 3814/2019 में प्रत्यर्थी हैं। उक्त प्रत्यर्थी को जारी की गयी सूचना को निम्नानुसार पढ़ा गया —

कार्यालय छावनी बोर्ड मेरठ, दिनांक 22 अगस्त 2006

सेवा में

अफजल अहमद पुत्र फखरूद्दीन,

55/pt घोसी मोहल्ला,

बी. आई. बाजार,

मेरत कैन्ट।

विषय : कारण बताओ नोटिस।

मुझे यह सूचित किया गया है कि आपके द्वारा बिना किसी पूर्व अनुमित के दुकान सं. 53–54 घोसी मोहल्ला बी. आई. बाजार मेरठ कैन्ट में अनाधिकृत निर्माण कार्य निष्पादित किया जा रहा है।

प्रथम तल

कमरे के माप 12' -11"X 15' -7" का निर्माण दुकान सं. 53-54, घोसी मोहल्ला बी. आई. बाजार मेरठ कैन्ट में किया जा रहा है।

जैसा कि यह छावनी अधिनियम, 1924 (संशोधित) के धारा 184/185 के अन्तर्गत एक दण्डनीय अपराध है, कृपया इसकी प्राप्ति के 3 दिनों के अंदर कारण बताएँ कि छावनी अधिनियम 1924 (संशोधित) की उक्त धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत आपके विरूद्ध क्यों कानूनी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए।"

- 5. कारण बताओ नोटिस के तारतम्य में, अनाधिकृत निर्मों के ध्वस्तीकरण और आगे के निर्माण कार्य को रोनके हेति 1924 अधिनियम के धारा 185 के अन्तर्गत एक नोटिस दिनांक 02.09.2006 को जारी की गई। दिनांक 02.09.2006 की नोटिस से पीड़ित होकर उसने सांविधिक अपील दायर की, जैसा कि 1924 अधिनियम की धारा 274 के अन्तर्गत परिकल्पित है, अपील भी बर्खास्तगी में समाप्त हो गयी। इस समूह में अन्तर्निहत सभी मामलों में प्राथमिक एवं अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित समरूप एवं रुढ़िवादी आदेश हैं।
- 6. अपीलीय प्राधिकारी के आदेश एवं 1924 की धारा 185 के अन्तर्गत जारी नोटिस को चुनौती देते हुए, प्रत्यर्थींगणों-मूल याचिकाकर्ताओं ने मा. उच्च

[&]quot;क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की है। मा. उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं में आक्षेपित आदेश की चुनौती मुख्यतः इस पर आधारित थी कि कार्यकारी अधिकारी को इस प्रकार की नोटिस जारी करने का कोई अधिकार नहीं है और नोटिस न्यायक्षेत्र के परे है। दूसरा आधार यह है कि ध्वस्तीकरण की सूचना कथित निर्माणों की तारीख से 12 महीनों के अन्दर जारी किया जाना चाहिए। यह तर्क दिया गया था कि सूचना में निर्माण की तारीख का उल्लेख नहीं किया गया था, इस प्रकार, सूचना परिसीमन द्वारा वर्जित कर दिया गया था। मा. उच न्यायालय के समक्ष अन्य आधार यह था कि सूचनाएँ सामयिक तरीके में जारी किए गये थे और कारण बताओ नोटिस का प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के बावजूद भी प्राथमिक प्राधिकारी ने पारित आदेश एवं प्रत्युत्तरों पर विचार नहीं किया, यहाँ तक कि अपीलीय प्राधिकारी ने भी बिना कोई अवसर प्रदान किये रूढ़िवादी आदेशों को पारित कर दिया और सूनवाई हेतू तारीख तय कर दिया। प्रत्यर्थीगणों-रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाये गये प्रथम दो आधारों को स्वीकार नहीं किया गया परन्तु मा. उच्च न्यायालय ने माना है कि प्रत्यर्थीगणों -मूल याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर प्रत्युत्तर पर विचार नहीं किया गया और आपत्तियों को अस्वीकार करने के नियत कारणों को नहीं बताया गया। आगे, यह भी माना गया कि अपीलीय प्राधिकारी ने आदेशों को पारित कर दिया है, जो कि कमोबेश समरूप है, और सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये बगैर पूर्व निर्धारित तरीके से पारित किया गया है। आक्षेपित आदेशों को रद्द करते हुए मा. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 19.12.2013 को निर्णय को प्राप्त करने हेतु अवलोकनों के आलोक में नये सिरे से कार्यवाहियों को अपीलार्थियों के लिए खुला छोड़ दिया।

[&]quot;क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

- 7. हमने इन मामलों के समूह में अपीलार्थियों की तरफ से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता रेखा पाण्डेय और प्रत्यर्थींगणों की तरफ से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्तागणों को भी सुना।
- 8. इन अपीलों में अपीलार्थियों की तरफ से विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि जब सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त किए बिना अनाधिकृत ढंग से निर्माण कार्य किये जाते हैं तो ऐसे निर्माणों के ध्वस्तीकरण के लिए प्राधिकारियों के आदेश सर्वदा खुले रहते हैं, जो कि अवैध रूप से प्रस्तुत किया गया है। आगे यह तर्क दिया गया कि कई अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद प्रत्यर्थींगणों –मूल याचिकाकर्तागण अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, जैसे कि अपीलीय प्राधिकारी के मामले के गुण-दोषों पर विचार किया और आक्षेपित आदेश को पारित कर दिया। आगे यह तर्क दिया गया है कि यहाँ तक कि प्राथिमक प्राधिकारी ने कारण बताओ नोटिस के माध्यम से एक अवसर प्रदान करने के पश्चात 1924 अधिनियम की धारा 185 के अन्तर्गत एक नोटिस जारी किया। यह तर्क दिया गया कि प्राथिमक स्तर और अपीलीय स्तर में अवसर प्रदान करने के बावजूद मा. उच्च न्यायालय ने अभिलिखित गलती से यह पाया कि बिना कोई अवसर प्रदान किये आदेश पारित कर दिए गए हैं और रिट याचिकाओं में आक्षेपित आदेशों को रद्द कर दिया गया है।
- 9. दूसरी ओर प्रत्यर्थियों की तरफ से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थींगणों के द्वारा उठाये गये आपत्तियों पर या तो प्राथमिक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी ने विचार नहीं किया और आक्षेपित आदेश पारित हो गये। यह तर्क दिया गया कि कारण बताओ नोटिस की आपत्तियों को दायर करने के बावजूद, छावनी कार्यकारी अधिकारी ने इस तरह की आपत्तियों को निर्दिष्ट नहीं

कोत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

किया और ध्वस्तीकरण के लिए 1924 के अधिनियम की धारा 185 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया। जब अपील सांविधिक उपाय के उपयोग करने के द्वारा अधिमानित है, जैसे अधिनियम के अन्तर्गत परिकल्पित है, यहाँ तक कि अपीलीय प्राधिकारी ने सुनवाई की तय तारीख और आक्षेपित रूढ़वादी आदेशों को प्रत्यर्थींगणों द्वारा अस्वीकार हो रहे अधिमानित अपीलों द्वारा एक अवसर प्रदान नहीं किया। आगे यह तर्क दिया गया कि छावनी कार्यकारी अधिकारी का किसी भी तरह का विधिमान्य प्रतिनिधि मंडल नहीं है और आक्षेपित सूचनाएँ बिना किसी न्यायक्षेत्र के जारी की गयी है।

- 10. विद्वान अधिवक्ता ने पक्षों को सुना, हमने मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश का अनुशीलन किया और अन्य तथ्यों को अभिलिखित किया।
- 11. आरंभ में, यह ध्यान दिया गया है कि, मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित सामान्य आदेश से पीड़ित होकर छावनी बोर्ड एवं अन्य ने अपील दायर की और सामान्य आक्षेपित आदेश में अभिलिखित यहाँ पीड़ित प्रत्यर्थींगणों द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गयी । न्यायक्षेत्र ने प्रत्यर्थींगणों ने सवाल उठाया और अपीलार्थींगणों के प्राधिकारी द्वारा 1924 अधिनियम की धारा 185 के अन्तर्गत जारी किये जा रहे सूचना को मा. उच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया है। ठीक इसी तरह से आगे तर्क दिया गया कि निर्माण की तारीख से 12 महीने की अवधि के अन्दर कार्यवाही न करने की याचिका भी अभिलेखन कारणों द्वारा अस्वीकार कर दी गयी । हम खासतौर पर प्रत्यर्थींगणों मूल याचिकाकर्ताओं द्वारा अधिमानित किसी भी अपीलों के अभाव में, मा. उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित किये गए निष्कर्षों में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं । इस समय, हम ऐसे दृष्टिकोण पर हैं कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किये गये आदेशों और 1924 अधिनियम की धारा

[&]quot;क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

185 के अन्तर्गत जारी सूचनाओं को रद्व करने के लिए मा. उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित विधिमान्य और प्रभावशाली कारण है। आक्षेपित आदेश में निर्दिष्ट कारणों के अतिरिक्त हमने अभिलिखित किये गये अन्य तथ्यों को भी सत्यापित किया है। जहाँ तक अफजल, जो कि सिविल अपील सं. 3814/2019 का प्रत्यर्थी है, का सम्बन्ध है दिनांक 22.08.2006 को आरोपित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि उसने दुकान सं. 53–54 घोसी मोहल्ला, बी. आर. बाजार मेरठ कैन्ट में निर्माण कार्य कराया है, लेकिन एकरूप नहीं है, यहाँ तक कि दिनांक 02.09.2006 को जारी अंतिम नोटिस में निर्दिष्ट नहीं है। यह प्रत्यर्थीगण का मामला है कि आपत्तियाँ दायर की गई, और उनके आपत्तियों पर भी विचार नहीं किया गया। कारण बताओ नोटिस जारी होने पर प्राथमिक प्राधिकारी को ऐसे नोटिस और आपत्तियों को निर्दिष्ट करना चाहिए था, यदि कोई हो तो ऐसी नोटिस जबकि दिनांक 02.09.2006 को अंतिम सूचना जारी हो रही थी।

यह स्पष्ट है कि सूचनाएँ यांत्रिक और सामयिक प्रणाली से जारी की गयी थी। यहाँ तक कि अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 10.08.2006 की सर्वेक्षण आख्या पर भरोसा करते हुए कहा है कि सिविल अपील सं. 3814/2019 में उन्नत प्रत्यर्थी ने किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमित के बिना ही दुकान के प्रथम तल का अनाधिकृत रूप से निर्माण किया। आगे यह कहा गया है कि इस तरह का सर्वेक्षण/निरीक्षण आख्या किसी भी समय प्रत्यर्थींगणों ने प्रस्तुत नहीं की, यद्यपि ऐसी आख्या प्रत्यर्थींगणों द्वारा अधिमानित की गयी अपीलों को अस्वीकार करने पर निर्भर है।

[&]quot;क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

- 12. मा. उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिकाओं में आक्षेपित आदेश में सूचनाओं को रद्व करते हुए मा. उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों को नये सिरे से सूचना जारी करने व कानून के तहत विचाराधीन प्रक्रिया का पालन करने के द्वारा यथोचित आदेश पारित करने के लिए मुक्त कर दिया । मामले के दृष्टकोण में, जबिक यह अपीलार्थियों के लिए प्रत्यर्थींगणों के विरुद्ध आरोपों को तय करने पर नई कारण बताओ नोटिस जारी करके नये सिरे से कार्यवाहियों का आरंभ करने के लिए हमेशा ही मुक्त हैं, लेकिन उसके साथ साथ मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में अभिलिखित कारणों के सम्बन्ध में, हमें इन अपीलों में उन्हीं हस्तक्षेप के साथ ही साथ मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में कोई त्रुटि नहीं मिलती ।
- 13. ये अपील तदनुसार निस्तारित की जाती है, हालाँकि हम यह स्पष्ट करते हैं कि उचित आदेशों को पोषित करने के लिए नये सिरे से कार्यवाहियों को आरंभ करने के लिए मा. उच्च न्यायालय द्वारा स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। जैसा कि छावनी अधिनियम 2006 दिनांक 18.12.2006 से प्रभाव में आया, अपीलार्थीगण नये सिरे से कार्यवाही केवल 2006 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर सकते हैं। नई कारण बताओ नोटिस प्रत्येक प्रत्यर्थीगणों को जारी पूर्व की कारण बताओ नोटिस के क्रम में होगी। जब नई कारण बताओ नोटिस जारी हो रही हो तो अपीलार्थी प्रत्यर्थीगणों को निरीक्षण आख्या की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा और प्रत्येक प्रत्यर्थीगणों को पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा और आदेश को विधिसम्मत पारित करेगा। इसके अतिरिक्त निर्माणों का मामला अनाधिकृत है अथवा नहीं, इस तरह के मुद्दे को प्राधिकारियों के विचारार्थ छोड़ दिया गया है।

कोत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

न्यायमूर्ति आर. भानूमति

न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी

नई दिल्ली

23 अप्रैल 2019

<u>उद्घोषणा</u> "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।